मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल जी बाई अटारियां डमटाल, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/2011 से 12/2019

भाग-एक

1 **प्रारम्भिक** :-

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: भाषा(ए)3-3/85,पार्ट-II दिनांक 17-01-99 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश के मन्दिर न्यासों के लेखों का अंकेक्षण निदेशक हि०प्र०राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत,मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल बाई अटारियां डमटाल के अवधि 01/2011 से 12/2019 के लेखों का अंकेक्षण हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न लिखित मन्दिर अधिकारी, आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे-

क्रम सं	अधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री सुशील कुमार	01.01.2011 से 01.02.2011
2.	श्री आर.के. वर्मा	10-02-2011 से 05.01.2012
3.	श्री यसोधन सिंह	06-01- 2012 से 31.07.2012
4.	श्री आर.के. वर्मा	01.08.2012 से 26.08.2012
5.	श्री सुरिंदर कुमार शर्मा	27.08.2012 से 25.04.2013
6.	श्री अश्वनी सुद	26.04.2013 से 11.03.2014
7.	श्री गौरव महाजन	12.03.2014 से 22.08.2014
8.	श्री अश्वनी सुद	23.08.2014 से 14.03.2015
9.	श्री जोगिन्दर सिंह	15.03.2015 से 31.03.2017
10.	श्री रमेश चन्द	03.04.2017 से 30.09.2017
11.	श्री आबीद हुसैन	01.10.2018 से 21.01.2018
12.	श्री ज्ञान चन्द	22.01.2018 से 31.12.2019

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम सं0	पैरा सं0	विवरण	(₹)लाखों में
1.	4 (ग)	बैंक समाधान विवरणी में अन्तर	0.07
2.	10(क)	मन्दिर न्यास की भूमि पर कब्जाधारियों पर कार्यवाही न करने बारे	
3.	10(ख)	मन्दिर न्यास की भूमि को ठेके पर न देने के परिणामस्वरूप से अधिक हानि बारे	**5.00**
4.	11	निर्माण कार्यों को अधिक प्रमात्रा में निष्पादित करने के फलस्वरूप के विचलन (Deviation)बारे	1.54
5.	12	श्री यशपाल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता से मकान किराया भत्ता व लाइसेंस फीस की वसूली न करने बारे	0.11
6.	13	अनियमित रूप से बिजली बिल के भुगतान बारे	0.01
7.	14	व्यय से सम्बन्धित के बिल/वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	**1.21**
8 .	15	स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	0.17

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित बकाया पैरों के निपटारे हेतु की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण पर समीक्षा की गई। मन्दिर प्रशासन द्वारा समस्त बकाया अनिर्णीत पैरों पर समुचित कार्रवाई न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान अधिकांश पैरों का निपटारा नहीं किया जा सका। अत: परामर्श दिया जाता है कि शेष लम्बित पैरों पर भी शीघ्र उचित कार्रवाई की जाये ताकि निपटारा भी सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के बकाया पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल बाई अटारियां डमटाल के अवधि 01-01-11 से 31-12-19 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री मुकेश कुमार स्नेही, सहायक नियन्त्रक व श्री अभिषेक कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-03-21 से 14-03-21 तक के दौरान मन्दिर न्यास

के कार्यालय परिसर में सम्पन्न किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये है। आय के लिए माह **04 /11,10/12,04/13,12/14,05/15,08/16,06/17,03/18,11/19** तथा व्यय के लिए माह **06/11,05/12,03/13,09/14,10/15,10/16,07/17,06/18,05/19** का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया।

मन्दिर न्यास के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व अंकेक्षण प्रतिवेदन मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल बाई अटारियां डमटाल के अवधि **01/11 से 12/19** तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹10800/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की **अधियाचना संख्या: 53 दिनांक 10-03-21** द्वारा वर्तमान मन्दिर अधिकारी से अनुरोध किया गया मन्दिर अधिकारी के कार्यालय द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए उक्त राशि रेखांकित चेक **सं: 459262** दिनांक: 16.03.21 के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वितीय स्थिति:-

(क) मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	अन्य आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011	3078758.00	564386.00	0.00	156493.00	37996.37	626331.00	3173306.00
2012	3173306.00	139223.00	0.00	77730.00	3390259.00	797672.00	2592587.00
2013	2592587.00	659237.00	0.00	125975.00	3377799.00	746863.00	2630936.00
2014	2630936.00	208090.00	0.00	139224.00	2978250.00	811630.00	2166620.00
2015	2166620.00	530391.00	1000000.00	100777.00	3797788.00	637137.00	3160651.00

2016	3160651.00	75483.00	0.00	1180377.00	4416511.00	1133621.00	3282890.00
2017	3282890.00	588891.00	0.00	117363.00	3989144.00	1199726.00	2789418.00
2018	2789418.00	123216.00	0.00	531026.00	3443660.00	631699.00	2811961.00
2019	2811961.00	69823.00	0.00	32248.00	2914032.00	414079.00	2499953.00

दिनांक 31-12-19 को बैंक खातों अनुसार अन्त शेष :- 2499286.54

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता न०	राशि
1	PNB DAMTAL	3373000100014150	21483.27
2	PNB INDORA	697000101819361	7687.74
3	KCC KANDRORI	20015009543	12642.25
4	SBI KANDRORI	55100098979	16450.28
5	SBI KANDRORI	55100116219	3434.00
6	SBI D/SALA	55096950724	36321.00
7	PNB PATHANKOT	2149	3049.00
8	FDR		2398219.00
		TOTAL	**2499286.54**

(ख)बैंक समाधान विवरणिका :-

दिनांक 31-12-19 को रोकड़ बही के अनुसार अन्त शेष	2499953.00
अन्तर	666.46
बैंक के अनुसार 31-12-19 को **अन्त शेष**	**₹2499286.54**

(ग) बैंक समाधान विवरणी में ₹666.46/- का अन्तर अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2011 से 12/2019 में पाया गया, परन्तु इस अन्तर की राशि के मिलान के लिए मन्दिर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अत: परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर की राशि के मिलान के लिए अविलम्ब उचित पग उठाए जाएं ताकि मन्दिर की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके।

5 निवेश :-

मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध करवाए गए **परिशिष्ट-ग** के अनुसार दिनांक 31-12-19 तक ₹2398219 /- सावधि जमा के रूप में विभिन्न बैंकों में निवेशित की थी।

(क) सावधि जमा में निवेश की गई राशियों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न किया जाना

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा उपलब्ध दिनांक 31-12-19 तक ₹2398219/ सावधि जमा में निवेशित थे परन्तु इन राशियों को वर्तमान स्थिति से पूर्व किस किस तिथियों को भुनाया गया तथा इन पर परिपक्कता पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ तथा परिपक्कता पर पुनः निवेश किन किन खातों में किया गया से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त **परिशिष्ट-ग** में निवेशित राशियों की जाँच अंकेक्षण के दौरान नही की जा सकी। अत: सावधि जमा से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाब न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये इसमें दिनांक 31-12-19 को निवेशित प्रत्येक एफ०डी०आर० के लिए एक अलग पृष्ट आबंटित किया जाए। जिसमें एफ०डी०आर०का खाता संख्या निवेशित राशि व निवेशित की तिथि व परिपक्कता की तिथि व प्राप्त राशि का विवरण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि एफ०डी०आर०के रख रखाव में किसी प्रकार अनियमितता की सम्भावना न रहे तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

6 सोने तथा चांदी की स्थिति :-

मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल बाई अटारियां डमटाल द्वारा उपलब्ध **परिशिष्ट-घ** के अनुसार मन्दिर न्यास को अंकेक्षण अवधि के दौरान सोने व चांदी की कोई भी प्राप्ति नही दर्शाई गई है।

7 रसीद बुक प्रस्तुत न करने बारे –

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्या 01 से 400 तक प्रस्तुत नही की गई जिसके दौरान चयनित माह 04/11 में रसीद संख्या 110 से 116 में ₹232709 व चयनित माह 10/12 में रसीद संख्या 198 से 202 में ₹12790 तथा चयनित माह 04/13 में रसीद संख्या 220 से 224 में ₹525700 की राशि वसूली गई थी जिसकी पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी। अत: रसीद बुक प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 रोकड़ बही व गोलक रजिस्टर सत्यापित न करने बारे :

(क) अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि अवधि 05.10.2016 से 31.12.2016 तक की रोकड़ बही पृष्ट संख्या 134 से 140 मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया जिसके

अभाव में अंकेक्षण द्वारा आय/व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: रोकड़ बही सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि दिनांक 28.11.19 का गोलक रजिस्टर मन्दिर अधिकारी/ सहायक आयुक्त द्वारा सत्यापित नही किया गया जिसके आभाव में अंकेक्षण द्वारा आय/व्यय की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: रोकड़ बही सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 आय को बैंक में विलम्ब से जमा करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा स्वयं स्त्रोत से प्राप्त आय को निम्नलिखित विवरणानुसार बैंक में विलम्ब से जमा किया गया है जबकि नियमानुसार प्राप्त राशि को एक दो दिन में जमा किया जाना अपेक्षित होता है जोकि एक गम्भीर मामला है।

प्राप्त राशि	आय प्राप्ति की तिथि	बैंक में जमा करने की तिथि
12090	16.10.12	30.11.12
30501	26.02.18	19.03.18
39360	25.03.18	23.04.18
16100	11.12.14	29.12.14

अत: उक्त राशियों को विलम्ब से जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 मन्दिर न्यास की भूमि से सम्बन्धित गम्भीर अनियमितताओं बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के पत्र संख्या: 158 दिनांक 05-03-21 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल वाई अटारियां की कुल 11-38-48 हेक्टयर भूमि है जिसमें से 03-44-22 हेक्टयेर भूमि मौजूदा गौशाला के पास है व 0-26-02 हेक्टयेर भूमि में मन्दिर श्री वद्री विशाल, मन्दिर अधिकारी का निवास व टयूवैल है व 0-11-88 हेक्टयेर भूमि पर कविजान दर्ज है 0-04-75 हेक्टयेर भूमि में गैरमुमकिन कुलह है व 0-10-56 हेक्टयेर भूमि रकवा श्री मनोहर लाल आदि के पास 1988 से 2087 तक पट्टा पर दिया गया है

जिसमे एक पेट्रोल पम्प है , जिसका मुकदमा माननीय न्यायलय जज इन्दौरा की अदालत में जेरे समायत है ओर 07-41-05 हेक्टयेर भूमि कृषि योग्य है।

(क) **मन्दिर न्यास की भूमि पर कब्जाधारियों पर कार्यवाही न करने बारे**

अंकेक्षण को उक्त पत्र द्वारा अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास की भूमि में से 0-11-88 हेक्टयेर पर नाजायज कब्जा किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं	**व्यक्तियों के नाम**	**भूमि रकबा (हेक्टयेर)**
1.	श्री अंग्रेज सिंह सपुत्र श्री संतोखसिंह	00-05-16
1.	श्री सुख देव सिंह सपुत्र श्री संतोखसिंह	
2.	श्री शिव चरण सिंह सपुत्र श्री संतोखसिंह	
3.	श्री गुरनाम सिंह सपुत्र श्री नाथू राम	00-02-00
4.	श्री प्रकाश चन्द सपुत्र श्री प्यारे राम	00-04-72
5.	श्री रत्न चन्द सपुत्र श्री प्यारे राम	
	कुल योग	**00-11-88**

उक्त कब्जाधारियों पर मन्दिर न्यास द्वारा नियमानुसार कोई भी कार्यवाही नही की जा रही जोकि गंभीर मामला है

(ख)मन्दिर न्यास की भूमि को ठेके पर न देने के परिणामस्वरूप ₹5.00 लाख से अधिक की हानि बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार मन्दिर न्यास की भूमि को नीलामी द्वारा श्री रमन कुमार सपुत्र श्री मणि राम निवासी तौकी को ठेके पर आबंटित की गई ।

क्रम संख्या	**अवधि**	**ठेके की राशि**
1.	01.05.2011 से 30.04.2013	460000
2.	03.05.2013 से 30.04.2015	525000
3.	25.05.2017 से 24.05.2019	440000
4.	28.05.2017 से 24.05.2019	511000

मन्दिर न्यास की भूमि को अवधि 24.05.19 के पश्चात नीलामी द्वारा अंकेक्षण के दौरान तक ठेके पर नही दिया गया है जिससे मन्दिर न्यास को ₹5 लाख से अधिक राशि की हानि हुई है जोकि एक गम्भीर मामला है l

(i)मन्दिर न्यास की कितनी भूमि ठेकेदार को आबंटित की गई से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत नही किया गया जिससे अंकेक्षण द्वारा इस बात की पुष्टि नही की जा सकी कि मन्दिर न्यास की कुल 07-41-05 हेक० कृषि योग्य भूमि में से कितनी भूमि ठेके पर दी गई l अंकेक्षण के दौरान मन्दिर न्यास के कर्मचारी द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्ण कृषि योग्य भूमि को ठेके पर नहीं दिया गया जबकि कुछ भाग को ही ठेके पर दिया गया था जिसका कोई भी अभिलेख मन्दिर न्यास के पास नही है l अत: ठेकेदार को कुल कितनी भूमि ठेके पर दी गई व शेष भूमि का उपयोग किस कार्य हेतु किया गया का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

उक्त अनियमितताओं से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन्दिर न्यास द्वारा भूमि के अभिलेख का रख रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है जोकि अतिगंभीर मामला है मामला मन्दिर न्यास के उच्च अधिकारीयों के ध्यान में लाया जाता है अत: मन्दिर न्यास की भूमि पर किए कब्जाधारियों पर कोई कार्यवाही न करना व मन्दिर न्यास की कृषि योग्य भूमि को ठेके पर न देना व मन्दिर न्यास की भूमि से आय अर्जित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए l

11 निर्माण कार्यों को अधिक प्रमात्रा में निष्पादित करने के फलस्वरूप ₹1.54 लाख के विचलन (Deviation)बारे

अवार्ड पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार निम्न निर्माण कार्य के लिए अधिकतम 20%विचलन निर्धारित किया गया था अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की जाँच में पाया गया कि इन निर्माण कार्यों को निर्धारित विचलन की प्रतिशतता से भी अधिक मात्रा में अनियमित रूप से सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति बिना निष्पादित करवाया गया जबकि नियमानुसार कार्य निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य था l अत:निम्न विवरणानुसार ₹154277/- के अनियमित विचलन हेतु सक्षम अधिकारी की

स्वीकृति लेने के उपरान्त नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार निर्माण कार्यो को निष्पादित करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	अवार्ड पत्र सं व दिनांक	माप पुस्तिका न०	आवार्ड राशि	निष्पादन राशि	विचलन राशि	विचलन प्रतिशतता
ARMO Temple Shri Badri Vishal Mandir Bain Attariyan	1272 Dt. 05-10-16	54 page 58 to 63	134673	271390	136717	101.51% (overall)
ARMO Temple Shri Badri Vishal Mandir Bain Attariyan (Electrical work)	1300 Dt. 05-10-16	54 page 78 to 80	56740	74300	17560	30.95 % (overall)
				कुल योग	**₹154277**	

12 श्री यशपाल सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता से मकान किराया भत्ता व लाइसेंस फीस की ₹0.11 लाख की वसूली न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास का एक कमरे का सेट श्री यशपाल सिंह. कनिष्ठ अभियन्ता को माह 06/19 से आबंटित किया गया था जबकि इस मकान का मकान किराया भत्ता(HRA) ₹400 व लाइसेंस फीस ₹106 की कटौती श्री राम गोपाल मन्दिर डमटाल द्वारा उनके वेतन से प्रत्येक माह किया जा रहा है परन्तु इस राशि को मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल वाई अटारियां में जमा नही किया जा रहा है जोकि अनियमित है इस प्रकार निम्न लिखित विवरणानुसार मार्च 2021 तक की ₹11132 की वसूली सम्बन्धित न्यास से करके मन्दिर न्यास श्री बद्री विशाल के खाते में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

अवधि	प्रति माह वसूली	कुल माह	कुल वसूली योग्य राशि(₹)
06/19 से 03/20	506	10	5060
04/20 से 03/21	506	12	6072
		कुल योग	**₹11132**

13 अनियमित रूप से बिजली बिल के भुगतान बारे

वाउचर संख्या 142 माह 09/14 की जाँच करने पर पाया गया कि **₹1446** का भुगतान बिजली बिल मीटर न०-B-192 मन्दिर अधिकारी के निवास हेतु किया गया था जोकि अनियमित व अनुचित था अत: उक्त अनियमित व्यय को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा **₹1446** को उचित स्त्रोत से वसूल कर मन्दिर न्यास की निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 व्यय से सम्बन्धित ₹1.21 लाख के बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित बिल वाउचर अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके आभाव में व्यय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नही की जा सकी।अत: बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अनुपालना हेतु इन बिलों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वाउचर संख्या	**माह**	**विवरण**	**राशि**
29	03/13	पूजा बिल	1134
173	10/15	वेतन बिल	49280
174	10/15	बकाया वेतन बिल	11984
175	10/15	बिजली बिल	5815
176	10/15	करियाना बिल	11717
शून्य	06/18	वेतन बिल	15330
शून्य	06/18	वेतन बिल	25878
		कुल योग	**₹121138**

15 स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 135 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है जाँच में पाया गया कि मन्दिर निधि से निम्न लिखित सामान ख़रीदा गया परन्तु ख़रीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टि को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में

अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत:स्टॉक प्रविष्टियों को न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में किया जाये अन्यथा इस खरीद हेतु भुगतान की गई **₹17148** की राशि को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधियों में जमा करवाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वा. स०	**माह**	**फर्म का नाम**	**विवरण**	**राशि**
43	06/11	इन्डेन गैस सर्विस	1 सिलेण्डर	375
30	03/13	मै० गोपाल कृष्ण करियाना स्टोर	पूजा का सामान	2625
138 व 139	09/14	--यथोपरि---	पूजा का सामान	5818
206	10/16	मै०एस.एस. हार्डवेयर इन्दोरा	सैनिटेशन सामान	1305
12	05/19	मै० गोपाल कृष्ण करियाना स्टोर	पूजा का सामान	7025
			कुल योग	**₹17148**

16. बिजली बिल को विलम्ब शुल्क के सहित जमा करना :-

वाउचर संख्या शून्य माह 07/17 की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा माह 07/17 का बिजली बिल **₹**5996 /- का भुगतान विलम्ब शुल्क **₹**83 /- सहित किया गया था जोकि अनियमित था अत: विलम्ब शुल्क सहित बिजली बिल जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा विलम्ब शुल्क की राशि **₹**83/- को उचित स्त्रोत से वसूल कर मन्दिर निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि क्रय किये गए सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना (फिजिकल वेरिफिकेशन) अंकेक्षण अवधि के दौरान कभी नहीं करवाई गई जबकि हिमांचल प्रदेश वित नियम की धारा 140 के अन्तर्गत स्टॉक में पडे सामान की प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना

करवाई जानी अपेक्षित थी। अत: नियमो की अनुपालना में स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करवा कर भविष्य में वार्षिक सत्यापन करना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 **लघु-आपत्ति विवरणिका :** लघु आपत्तियों का मौके पर निपटारा कर दिया गया है, यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

19 **निष्कर्ष** :- लेखों में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

(राम सिंह चौहान)
उप निदेशक,
हि0प्र0 लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)200/99खण्ड–2–3288–3291 दिनांकः29.7.2021 शिमला–09

प्रतिलपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
2 उपायुक्त कांगड़ा एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री शिव मन्दिर बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
3 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09

पंजीकृत 4 मन्दिर अधिकारी, मन्दिर न्यास श्री बद्री, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उतर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(राम सिंह चौहान)
उप निदेशक,
हि0प्र0 लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–09
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट "क" **पैरा संख्या 1 (घ) के सन्दर्भ में**

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 19.02.1989 से 31.12.1998

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा– 5(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा– 7(ग)	अनिर्णीत
5	पैरा– 8	अनिर्णीत
6	पैरा– 9	अनिर्णीत
7	पैरा– 10	अनिर्णीत
8	पैरा– 11	अनिर्णीत
9	पैरा– 12	अनिर्णीत
10	पैरा– 13	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–24	अनिर्णीत
13	पैरा–26	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000

1	पैरा– 8	अनिर्णीत
2	पैरा– **9**(ग)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2008

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–**9**	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/2009 से 12/2010 :-

1	पैरा-3	वित्तीय स्थिति में ₹2840 /- का अन्तर	निर्णित	पैरा अपडेटेड
2	पैरा–5	गोलक रजिस्टर से रोकड़ बही में ₹50 कम हंस्तान्त्रित करना	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गयी है।
3	पैरा–6	मन्दिर की मलकियती भूमि पर मन्दिर परिसर के साथ बनाए गए दो शेडो को प्रयोग में लाने बारे	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गयी है।
4	पैरा–7	₹640 आयकर के रूप में न काटने बारे	निर्णीत	कार्यवाही देख ली गयी है।
5	पैरा-8	निर्माण कार्य बारे	अनिर्णीत	
6	पैरा-9	वाउचर संख्या 197 दिनाकं 30.12.2010 ₹151049	अनिर्णीत	

01/11 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	24
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	15
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	4
12/19 को अनिर्णीत पैरों का अन्तिम शेष	35